

		<p>जिसने पे बैंड रु.15,600-39,100 तथा ग्रेड पे रु.7600 में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो वो भी इस पद के लिए पात्रता रखता है तथा अगर ऐसे किसी उम्मीदवार का चयन होता है तो वह चयन पदोन्नति द्वारा माना जाएगा।</p> <p>नोट 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्र सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में किसी अन्य पूर्व काडर पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।</p> <p>नोट 3. प्रतिनियुक्ति पर भर्ती हेतु आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12.	अगर विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	कार्मिक समूह द्वारा चयन तथा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति। कार्मिक समूह की संरचना बोर्ड की अधिसूचना सं.के-14011/13/85-NCRPB, दिनांक 8/7/1985 के अनुरूप होगी।
13.	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थितियाँ	लागू नहीं

बी. के. त्रिपाठी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./195 (125)]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD)

New Delhi, the 27th July, 2016

No. A-12011/2/2015-Estt.— In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006, published vide No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, the NCRPB hereby makes the following amendments in the Recruitment Rules for the post of Chief Regional Planner, National Capital Regional Planning Board namely:-

1. Short title and commencement –

(i) These regulations may be called the "National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Rules, 2015".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notification No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, the table in respect of the post of Chief Regional Planner (CRP) given after the clause 14.2 of the Notification, is substituted with the following table:-

Chief Regional Planner

1.	Name of Post	Chief Regional Planner
2.	Number of Posts	One
3.	Classification	Group 'A'

